O (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान झींगा मछली के निर्यात के माध्यम से प्रति कितनी विदेशी मुद्र अर्जित की गई है,

(ग) क्या सरकार झींगा प्रसंस्करण क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहन देने तथा इसमें नये एककों की स्थापना को सरल बनाने का विचार रखती है, और

(घ) यदि हां, तो उसका यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी0 चिदम्बरम्) : (क) तथा (ख) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या 4 और 366 है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार पशीतित झींगा मछली के निर्यात से हुई विदेशी मुद्र आय का ब्यौरा नीचे दिया गया है –

वर्ष	अर्जित विदेशी मुद्र (करोड़ रु0 में)
1992-93	1176.83
1993-94	1770.73
1994-95	2516.60
	(स्रोतः एम्पीडा)

(ग) तथा (घ) एम्पीडा पहले से ही अनेक इमेदादी योजनाएं चला रहा है जिनका उद्देश्य मत्स्य संसाधन क्षेत्र का संवर्धन करना है । इसमें अन्य योजनाओं के साथ-साथ ये भी शामिल हैं – उन्नत प्लेट, फ्रीजरों, प्रशीतित ट्रकों/कन्टेनरों को लगाने के लिए तकनीकी परामर्श और आर्थिक सहायता देना, झीतगारों का उन्नयन करना, उष्मारोधी मत्स्य संदूक वितरित करना, आई क्यू एफ झींगा के उत्पादन के लिए मशीन और उपकरण खरीदना और जनरेटर सैंटों, आदि के लिए इमदाद देना।

चीनी का उत्पादन

1430. **श्री रामजीलाल :** क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष चीनी का कितना उत्पादन हुआ और क्या बढ़ती हुई जनसंख्या और इस वर्ष केवल 145 लाख टन चीनी के स्वेदशी उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए और अधिक चीनी का आयात किए जाने की आवश्यकता होगी,

(ख) सि समय देश में कितनी चीनी मिले हैं और उनमें से कितनी मिलें रुग्ण हैं, और

(ग) सरकार द्वारा उनके पुरुद्धार के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) चालू चीनी मौसम 1994-95 के दौरान चीनी उत्पादन 15.7.1995 तक 142.27 लाख टन है (अंनितिम)। 1994-95 मौसम के शुरू में देशी चीनी के अनुमानित पूर्वाशिष्ट स्टॉक तथा पूर्व आयातित चीनी के अधिशेष स्टॉक के साथ, मौसम के दौरान 143.00 लाख टन के अनुमानित उत्पादन सहित, ऐसा अनुमान है, कि चालू मौसम 1994-95 (अक्तूबर-सितम्बर) के लिए घरेलू खपत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए चीनी की पर्याप्त उपलब्ध होगी।

(ख) 30.6.1995 तक देश में 437 संस्थापित चीनी फैक्ट्रियां थीं । रुग्ण औद्योगिक कम्पनीज़ (विशेष प्रावधन) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों में अन्तर्गत जो कम्पनी रुग्ण हो जाती है उसे विचारार्थ औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बी0 आई0 एफ0 आर0) के सुपुर्द कर दिया जाता है । इन प्रावधानों के अन्तर्गन अब सरकारी कम्पनियां भी आ गई है। बी0 आई0 एफ0 आर0 ने सूचित किया है कि 1.8.1995 तक उसके पास रुग्ण चीनी कम्पनियों के 16 दर्ज़ थे।

(ग) चीनी मिलों के स्वयं ही पुनरूद्धार/आधुनिकीकरण की योजनाएं तैयार करके उन्हें वित्तीय सनस्थानों में मंजूर कराना होता है । चीनी विकास निधि (एस0 डी0 एफ0) से भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास

1431. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के पिछड़े ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कोई विशेष योजना बनायी है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जिला-वार ब्यौरा क्या है,

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त क्षेत्र के विकास के लिए जिला-वार कितने-कितने धन का आवंटन किया गया है, और

(घ) मध्य प्रदेश में जिला-वार, श्रेणी-वार और वर्ष-वार कितने-कितने लोगों को इससे लाभ पहुंचा है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग) : (क) मध्य प्रदेश में पिछड़े ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए कोई विशिष्ट विकासपरक स्कीमें नहीं बनाई गई है । बहरहाल, ग्रामीण विकास विभाग इन क्षेत्रों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन स्कीम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, इंदिरा आवास योजना, मिलियन वैल्स स्कीम जैसी स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है । इन स्कीमों के अतिरिक्त, मध्य प्रदेश सरकार भी जनजातीय उप-योजना कार्यनीति के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है, जिसके लिए राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

Ban on Beedis

1432. SHRI V. RAJAN CHELLAPPA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are taking a negative stand against beedi workers and their economic long term interest;

(b) whether it is fact that Government propose to introduce ban on beedi through various legislative restrictions; and

(c) the details of Labour Ministry stand in the matter?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA): (a) No, Sir.

(b) The legislation proposed by Ministry of Health does not envisage a ban on beedis.

(c) It is felt, that the proposed legislation may not significantly affect employment situation in the beedi industry for the present.

Reduction in Prices of Coffee Sold Through Outlets of Coffee Board

1433. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of COMMERCE b§ plesed to state:

(a) whether Government have reduced the prices of coffee sold through outlets of Coffee Board;

(b) if so, the details thereof, variety-wise;

(c) whether Government propose to advise certain organisations like M/s. Nestle, M/s Brooke Bond and M/s. Tata Tea to reduce the prices of coffee being sold by them in view of reduction in prices of coffee announced by Government;

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(e) whether some Free Sale Quota of Coffee has been fixed for registered coffee growers;

(f) whether some system of pooling of coffee in excess of Free Sale Quota exists; and

(g) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) Yes, Sir. Government of India have reduced the prices of coffe'e powder sold through the promotional units of the Coffee Board. The prices of Plantation C variety and that of Commercial blend have been fixed at Rs. i25Ag. and Rs. 130/kg. respectively. These prices are inclusive bf all taxes and are effective from 15th of July, 1995.

(c) and (d) Consultation have been held with organisations including M/s. Nestle, M/s Brooke Bond etc. with regard to their cost of production and retail price and they have been advised to reduce their prices.

(e) Yes, Sir. Free Sale Quota has been fixed at 100% for small Coffee growers having holding size less than 10 ha. and at 70% for all other registered growers.

(f) and (g) Yes, Sir. Every registered grower , is required to pool coffee in excess oftheFSQ with the Coffee Board-.